जेपी० 275

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पत्रांक :– जाविविनि / वले(मु.) / राजस्व / पत्रा.50 / प्रे 827 जयपुर ,दिनांक :– 21/6/08

आदेश

कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि जयपुर शहर के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल की राशि जमा कराये जाने के पश्चात भी विभिन्न कारणों से उनके आगामी बिल में पुराने विद्युत बिल की बकाया राशि जुड़ जाती है तथा उनके द्वारा जमा बिल की रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात भी राजस्व संग्रहणकर्ता द्वारा उनसे वर्तमान बिल की पूर्ण राशि की मांग की जाती है तथा मजबूरन उन्हें या तो यह राशि जमा करानी पड़ती है या वर्तमान बिल की मांग राशि की दुरुस्ती हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता मुख्यालय पर जाना पड़ता है तथा अनावश्यक बहुमूल्य समय एवं श्रम की बर्बादी के साथ ही आर्थिक हानि एवं मानसिक असंतोष का सामना करना पड़ता है ।

उपरोक्त समस्या के निवारणार्थ, निम्न ओदश प्रसारित किये जाते है :–

1. उपभोक्ता द्वारा पूर्व विद्युत बिल की राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने पर राशि संग्रहणकर्ता सामान्य जांच कर यह सन्तुष्टी करेगा कि प्रस्तुत रसीद पूर्व जमा बिल की ही है तथा वर्तमान बिल में जोड़ी गयी है ।
2. आवश्यक सन्तुष्टी के उपरान्त राशि सग्रहण कर्ता द्वारा उपभोक्ता के वर्तमान बिल में उपभोक्ता पार्श्व के पृष्ठ भाग पर संबंधित रसीद का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा एवं यहीं विवरण विभागीय पार्श्व के पृष्ट भाग पर भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा एवं दोनों स्थानों पर "आंशिक भुगतान (Part Payment.)" लिख कर अपने हस्ताक्षर भी करेगा ।
3. उपरोक्त कार्यों के पश्चात राशि संग्रहणकर्ता, उपभोक्ताओं से वर्तमान बिल राशि की ही मांग करेगा एवं तद्नुसार रसीद जारी करेगा । जारी रसीद पर भी "आंशिक भुगतान (Part Payment.)" लिखा जायेगा।
4. राशि संग्रहण कर्ता / संग्रहण एजेन्सी द्वारा जारी "दैनिक भुगतान प्राप्ति विवरण पत्र" में संबंधित उपभोक्ता से प्राप्त बिल राशि के विवरण के सम्मुख भी "आंशिक भुगतान (Part Payment.)" आवश्यक रूप से दर्शाया जायेगा।
5. बिल संग्रहण एजेन्सी द्वारा "दैनिक भुगतान प्राप्ति विवरण पत्र" के साथ, ऐसे समस्त आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का विवरण, संलग्न परिशिष्ठ में संबंधित सहायक अभियन्ता के कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ।
6. सहायक अभियन्ता / सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा, उपरोक्त कम संख्या 5 में उल्लेखित विवरण पत्र के आधार पर, आवश्यक जांच कर संबंधित उपभोक्ता के खाते में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत सुधार कर बिलिंग एजेन्सी को संबंधित इनपुट परिपत्र में सूचना भिजवानी होगी।

यह व्यवस्था जयपुर शहर क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं पर ही प्रभावी होगी, जहाँ विद्युत बिल की राशि, बिल संग्रहण एजेन्सी मैसर्स ट्राइमेक्स कम्पनी के रोकड़ संग्रहण केन्द्रों पर जमा करवायी जायेगी। सहायक अभियन्ता कार्यालयों में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत बिल में सुधार कर राशि संग्रहित की जायेगी ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है ।

संलग्न:– एक

आनन्दजोशी

(आनन्द जोशी)
निदेशक (वित्त)